भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2153
दिनांक 20.12.2022/ 29 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

सीमा-पार से आतंकवाद और साइबर अपराध

†2153. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार है कि कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समान नीति होनी चाहिए क्योंकि कुछ अपराध जैसे कि सीमापार से आतंकवाद और साइबर अपराध क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बंधे नहीं होते हैं;
(ख) क्या केंद्र सरकार का राज्यों के लिए यह भी प्रस्ताव है कि आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का कार्यालय होगा और इसलिए एजेंसी को "अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार" और आतंकवाद से संबंधित संपत्ति को जब्त करने के लिए अतिरिक्त अधिकार होगा और "एक डेटा, एक प्रविष्टि" सहित आतंक और अन्य अपराधों संबंधी डेटा के केंद्रीकरण के लिए भी कहा गया था: और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार क्या प्रगति हुई है?
उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सरकार का विषय है। हालांकि, आतंकवाद जैसे मामले में, केंद्र सरकार, इसे साझी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करती है और राज्य सरकारों की मदद करती है।

भारत में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) आतंकवाद के खिलाफ प्रमुख कानूनी व्यवस्था है। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और राज्य स्तर पर राज्यों के पुलिस बल, यूएपीए सहित मौजूदा कानून के तहत ऐसे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2153, दिनांक 20.12.2022

सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ढांचा और इको-सिस्टम प्रदान करने हेतु 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) की भी स्थापना की है। जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए समर्थ बनाने हेतु 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं की सूचना कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसी को स्वतः चली जाती है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) आतंकवाद और अन्य अनुसूचित अपराधों से संबंधित मामलों की जांच के लिए प्रमुख केन्द्रीय एजेंसी है। एनआईए का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके 18 शाखा कार्यालय देश के सभी प्रमुख शहरों में पहले ही स्थापित हो चुके हैं। इन 18 शाखा कार्यालयों में से, 10 की स्थापना वर्ष 2019-2022 के दौरान की गई है। साइबर आतंकवाद से संबंधित अपराधों की प्रभावी और त्वरित जांच और अभियोजन के लिए, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम, 2008 को वर्ष 2019 में संशोधित करके इसकी अनुसूची में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 एफ को शामिल किया गया।

अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस) को देश के सभी पुलिस स्टेशनों में तैनात किया गया है और यह अपराध की जांच के लिए पुलिस स्टेशनों एवं केंद्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डेटा को इंटरलिंक करने और साझा करने के कार्य को संभव बनाता है।

******